सहायक कलक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिवपालसिंह बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 26/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13.12.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस एकपक्षयीय सुनी गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादी की तामील की प्रति मय डाक विभाग ट्रेकिंग रिपोर्ट के पेश की। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 13/12/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26 / 2023	2023 / 57	08.02.2023	13.12.2023

उनवान प्रकरण

1. शिवपालराम मीणा पुत्र फूलाराम आयु 52 वर्ष
2. दशरथ सिंह मीणा पुत्र फूलाराम आयु 42 वर्ष
3. दीपेन्द्र कुमार पुत्र फूलाराम आयु 36 वर्ष
   समस्त जाति मीणा निवासीगण ढ़ाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादी——

उपस्थित : –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0, वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 759, 761, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर अवस्थि[illegible]वाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण [illegible] काबिज काश्तकाार है। वादीगण को अपने गांव, समाजर बिरादरी में (छोटे [illegible]) आम बोलचाल की भाष ामें वादी नम्बर 1 को लालू व वादी नम्बर 2 को पपू व वादी नम्बर 3 को दीपू के नाम से पुकारते हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

और शिवपालाराम व लालू एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 1 के नाम है एवं दशरथ सिं हव पपू एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 2 के नाम है तथा दीपेन्द्र कुमार व दीपू एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 3 के नाम हैं। वादीगण के पिता फूलाराम का स्वर्गवास होने पर वादीगण के भाई ने ही विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही की थी जो ग्रामीण व्यक्ति था। इसलिए उक्त कृषि भूमियों के राजस८ अभिलेख में खातेदारी बाबत् विरासत के नामान्तकरण कार्यवाही वक्त वादी नम्बर 1 का नाम लालू व वादी नम्बर 2 का नाम पपू व वादी नम्बर 3 का दीपू ही दर्ज हो गया, जबकि समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी नम्बर 1 का नाम शिवपालाराम एवं वादी नम्बर 2 का नाम दशरथसिंह व वादी नम्बर 3 का नाम दीपेन्द्र कुमार ही दर्ज है और इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख (खतौनीयों) में खातेदारी में वादी नम्बर 3 का नाम दीपू अंकित हैं। जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में वादी नम्बर 1 का नाम शिवपालराम एवं वादी नम्बर 2 का नाम दशरथसिंह व वादी नम्बर 3 का नाम 3 दीपेन्द्र कुमार अंकित होने से नाम में भिन्नता होने से आपस में मेल नहीं खाता हैं। जिससे वादीगण को अलग व्यक्ति समझा जाता हैं और वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में एवं अन्य समस्त सरकारी रिकार्ड दस्तावेजो में भिन्नता होने से वादीगण सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जिससे वादीगण को काफी परेशानी होती हैं और भविष्य में भी वादीगण क गंभीर विधिक अड़चने उत्पन्न होने की संभावनायें सदैव बनी रहती हैं। इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादीगण सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। वादीगण ने अपनी उक्त कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर वादीगण को उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादीगण के नाम क्रमशः लालू, पपू व दीपू अंकन होने से जानकारी हुई। जिस पर वादीगण ने तहसीलदार के यहां पर प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती का निवेदन का प्रयास विफल होने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 759, 761, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर अवस्थित तन् गोमावाली तहसील श्री[illegible]पुर [illegible]ला सीकर राजस्थान के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में लालू, पपू व दीपू [illegible] वादी नम्बर 1 का नाम शिवपालराम पुत्र फूलाराम, वादी नम्बर 2 का नाम द[illegible] सिंह पुत्र फूलाराम व वादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

3 का नाम दीपेन्द्र कुमार पुत्र फूलाराम सही संशोधन कर उदघोषित किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक 18 दिनांक 22.06.2023 द्वारा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी। वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में शिवपालराम मीणा पुत्र फूलाराम आयु 52 वर्ष जाति मीणा गोपीराम वर्मा पुत्र औंकारमल वर्मा जाति बलाई आयु 46 वर्ष, पारस कुमार शर्मा पुत्र सांवरमल शर्मा जाति ब्राह्मण आयु 27 वर्ष के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये। वकील वादीगण व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पालना रिपोर्ट पेश कर दिये जाने व साक्ष्य वादी/गवाहान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदीं, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से तहसीलदार श्रीमाधोपुर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गोमावाली की जमाबंदी संवत् 2074–77 पटवार मण्डल सिहोड़ी के खाता संख्या 46 में दर्ज खातेदारों का नाम क्रमशः "लालू, पपू व दीपू" पुत्रगण फूलाराम जाति मीणा दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन सभी आवश्यक दस्तावेजों में (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जनआधार पहचान पत्र) में वादीगणों के नाम क्रमशः " शिवपालराम, [illegible] दीपेन्द्र" पुत्रगण फलाराम जाति मीणा दर्ज है। वादीगण "लालू व शिवपालराम", [illegible] "दीपू व दीपेन्द्र" एक ही व्यक्ति है, दो नाम है, वादीगण दोनो नामो से ही [illegible]ने–पहचाने जाते है। इस प्रकार वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 759, 761, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अवस्थित तन् गोमावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में लालू, पपू व दीपू के स्थान पर वादी नम्बर 1 का नाम शिवपालराम पुत्र फूलाराम, वादी नम्बर 2 का नाम दशरथ सिंह पुत्र फूलाराम व वादी नम्बर 3 का नाम दीपेन्द्र कुमार पुत्र फूलाराम संशोधित कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना प्रकट होता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 759, 761, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर अवस्थित तन् गोमावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में लालू, पपू व दीपू के स्थान पर वादी नम्बर 1 का नाम शिवपालराम पुत्र फूलाराम, वादी नम्बर 2 का नाम दशरथ सिंह पुत्र फूलाराम व वादी नम्बर 3 का नाम दीपेन्द्र कुमार पुत्र फूलाराम संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

13/12/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक **13.12.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर